न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	दायरा तिथि	निर्णय तिथि
707/2016	प्रा0पत्र आदेश 9 नियम 9 व धारा 151 CPC	21.11.2016	27.09.2019

श्रीमति खातून पुत्री सादुलेखां पत्नी श्री भवरूखां जाति कायमखानी निवासी झारिया तहसील चूरू जिला चूरू

–प्रार्थी–

बनाम

1. मैनूदीनखां पुत्र सादुलेखां जाति कायमखानी निवासी झारिया तहसील चूरू
2. श्रीमति सायरा पुत्री सादुलेखां जाति कायमखानी निवासी झारिया तहसील वा जिला चूरू
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी व धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थितः– 1. अधिवक्ता श्री आनन्द बालाण प्रार्थिनी
2. अधिवक्ता श्री हसन खां अप्रार्थी

आदेश

प्रार्थीनी (वादीनी) की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 वा धारा 151 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनवान का वाद संख्या 81/04 वादिनी (प्रार्थिया) की ओर से न्यायालय में पेश किया गया था जो दावा अधिवक्तागण की ओर से कार्य स्थगित किये जाने के कारण दिनांक 28/03/08 को अदम हाजरी में खारिज किया गया। यह कि प्रार्थया वादिनी पर्दानशीन महिला हैं जिसे अधिवक्ता ने प्रत्येक पेशी पर नहीं आने के लिए कहा था जिस कारण प्रार्थिया का दावा अदम हाजरी में खारिज होना वा प्रार्थिया को सर्वप्रथम दिनांक 02/04/2008 को ज्ञान होने पर प्रार्थिया ने दिनांक 02/04/2008 को ही दावा को पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया जिस प्रार्थना पत्र की फोटो प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। यह कि प्रार्थिया द्वारा दिनांक 02/04/2008 को प्रार्थना पत्र पेश करने के बावजूद वादी का दावा पुनः नम्बर पर नहीं लिया गया ना प्रार्थना पत्र का ही निर्णय किया गया जिस कारण प्रार्थिया द्वारा दिनांक 14.03.2011 को पुनः दावा को नम्बर पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन इसके बावजूद दावा को पुनः नम्बर पर नहीं लिया गया ना प्रार्थना पत्र निर्णित किया गया। यह कि प्रार्थिया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) राज. काश्तकारी अधिनियम का न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें लगातार पेशियां पड़ रही हैं वा वर्तमान में आगामी पेशी 20.12.2016 नियत है। प्रार्थिया ने यही समझा कि प्रार्थिया के दावा में भी यही तारीख पड़ी हैं लेकिन गत पेशी 07.11.2016 पर प्रार्थिया को पता चला कि दावा की पत्रावली अभी तक रेस्टोर नहीं हुई है वा रेस्टोरेशन हेतु पेश प्रार्थना पत्रों पर भी अभी तक कोई आदेश पारित नहीं हुए हैं एवं पेन्डिंग चल रहे हैं।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादिनी के वाद संख्या 81/04 शीर्षक खातून बनाम मैनूदीन निर्णय दिनांक 28.03.2008 को पुनः नम्बर पर लिया जावे वा पूर्व में पेश प्रार्थना पत्रों को इस प्रार्थना पत्र के साथ शामिल कर सुनवाई फरमाई जावे।

प्रार्थिनी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर दावा सं. 81/2004 निर्णय दिनांक 28.03.2008 को जिला आलेख शाखा से मंगवाने का आदेश दिया जाकर पत्रांवली इन्तजार में नियत रही। दिनांक 19.12.16 को दावा सं. 81/2004 की पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गई एवं अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री हसनखां एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं. 2 के विधिवत तामील के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी सं. 1 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

प्रार्थीनी के प्रार्थनापत्र का जवाब अप्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 की ओर पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थनापत्र की मद सं. 1 गलत व झूठ लिखे होने के कारण लिखे अनुसार स्वीकार नहीं है, अस्वीकार की जाती है। दिनांक 28.03.08 को अधिवक्तागण की ओर से कार्य स्थगित नहीं किया गया था और अधिवक्तागण की ओर से कार्य स्थगित किये जाने का अंकन दिनांक 28.03.08 को फर्द अहकाम में नहीं लिखा गया है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 लिखे अनुसार स्वीकार नहीं, अस्वीकार की जाती है। वादिनी की ओर से इस प्रार्थनापत्र से पूर्व कोई भी प्रार्थना पत्र दावा को पुनः नम्बर पर लेने के लिए पेश नहीं किया गया है तथा ना ही न्यायालय पत्रावली में कोई प्रार्थना पत्र दिया जाना अथवा संलग्न होने की फर्द अहकाम है। यह कि प्रार्थनापत्र की मद सं. 3 गलत व झूठ लिखे होने के कारण लिखे अनुसार स्वीकर नही है, अस्वीकार की जाती है वादिनी द्वारा इस प्रार्थना पत्र से पूर्व कोई प्रार्थना पत्र दावा को पुनः नम्बर पर लेने के लिये पेश नहीं किया गया है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 गलत व झूठ लिखे होने से लिखे अनुसार स्वीकार नहीं है अस्वीकार की जाती है। प्रार्थिया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम न्यायालय में विचाराधीन है मगर प्रार्थिया कभी भी न्यायालय में हाजिर नहीं आयी। प्रार्थना पत्र में लावारिश हालत में न्यायालय के रूटीन में पेशियां चलती आ रही है प्रार्थिया का दावा अदम पैरवी अदम हाजरी में आज से 9 साल पहले खारिज हो गया है जिसकी जानकारी प्रार्थिया को अच्छी तरह रही है गत 9 वर्षो तक का प्रार्थिया द्वारा कोई उचित कारण नहीं दिया गया है।

अतः श्रीमान के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थिया द्वारा गत 9 वर्षों तक गैर हाजिर रहने का कोई भी कारण नहीं दिया है इसलिए प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश होने पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि प्रार्थिनी एक पर्दानशीन महिला है जिसके अधिवक्ता ने प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित आने से मना किया हुआ था इसलिए प्रार्थिनी दिनांक 28.03.2008 को उपस्थित नहीं आ सकी। दिनांक 28.03.2008 को अधिवक्तागण की ओर से कार्य स्थगित किया हुआ था। जिस पर प्रार्थिनी का दावा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय की जानकारी प्रार्थिनी को दिनांक 02.04.2008 को सर्वप्रथम होने पर उसी दिन दावा रेस्टोर करने का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया था परन्तु प्रार्थिनी का दावा रेस्टोर नहीं किया गया। प्रार्थिया यही समझती रही कि दावा रेस्टोर हो गया है। तत्पश्चात् दिनांक 14.03.2011 को भी प्रार्थिया ने दावा

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

रेस्टोर करने का प्रार्थना पत्र पेश किया था परन्तु न तो दावा रेस्टोर किया गया एवं ना ही उक्त प्रार्थना पत्रों का निर्णय किया गया। प्रार्थिया द्वारा पेश धारा 212 (2) के प्रार्थना पत्र में कार्यवाही विचाराधीन है जिसकी आगामी पेशियां निरन्तर पड़ रही हैं जिसकी तारीख पेशी दिनांक 07.11.16 को प्रार्थिनी को दावा रिस्टोर नहीं होने की जानकारी प्राप्त हुई एवं जानकारी होते ही जानकारी दिनांक को ही दावा रिस्टोर करने का प्रार्थना पत्र पुनः पेश कर दिया है। इसलिए प्रार्थिनी द्वारा पेश प्रार्थना पत्रों को एक साथ शामिल करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाये जाकर प्रार्थिनी का दावा रिस्टोर किया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थिनी द्वारा न्यायालय में दावा रिस्टोर करवाने हेतु इस प्रार्थना पत्र से पूर्व कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। प्रार्थिनी का दावा आज से 9 साल पहले खारिज हो गया था जिसकी जानकारी प्रार्थिनी को भली भांति रही है। प्रार्थिनी ने अपने प्रार्थना पत्र में अपनी अनुपस्थिति एवं देरी का कोई उचित कारण अंकित नहीं किया है। इसलिए 9 वर्ष की देरी से गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एक साधारण प्रकृति का प्रार्थना पत्र है जिसमें केवल अनुवान का अंकन किया गया है तथा प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी पेश नहीं किया गया है। प्रार्थिनी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ इसमें उल्लेखित दो प्रार्थना पत्रों दिनांक 14.03.2011 व 02.04.2008 की छाया प्रतियां पेश की हैं जिन पर न्यायालय की ओर से कोई पृष्ठांकन या पेश करने की मार्किंग व तारीख अंकित नहीं है केवल प्रार्थिनी द्वारा पेश किये जाने अंकित किये गये हैं। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दावा सं. 81/2004 की आदेशिका दिनांक 16.02.08 एवं 28.03.2008 का भी अवलोकन किया गया। उक्त आदेशिकाओं के अवलोकन से उक्त तारीख पेशियों पर अधिवक्तागण द्वारा कार्य स्थगित किया जाना प्रतीत नहीं होता है।

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्रार्थिनी द्वारा यह प्रार्थना पत्र लगभग 9 वर्ष की देरी से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ कोई शपथ पत्र भी पेश नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ पेश दो प्रार्थना पत्रों के अवलोकन से यह जाहिर नहीं होता कि ये दोनों प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किये गये थे या नहीं क्योंकि इन पर न्यायालय की ओर से कोई पृष्ठांकन (मार्किंग) नहीं है। प्रार्थिनी ने अपने प्रार्थना पत्र में अनुपस्थिति एवं 9 वर्ष की देरी से प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई उचित कारण भी अंकित नहीं किया है तथा ना ही ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया है जिससे यह प्रमाणित होता को कि प्रार्थिनी को जानकारी 02.04.2008 एवं दिनांक 14.03.2011 को हुई। साथ ही धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में बिना किसी उचित कारण एवं परिस्थिति के लगभग 9 वर्ष की देरी से पेश किया गया प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

आदेश

अतः प्राथिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का बिना किसी उचित कारण के 9 वर्ष की देरी से पेश किया गया होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 27.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू